वादी भोजराज -बनाम- धर्मराम

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशिलस जज	नम्बर अहद हुक्म में
06/7/21	वकील वादी उप० P/D रिपोर्ट अप्राप्त है। इन्तजार होकर मिसल पेश हो 05/8/2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
05/8/21	वकुलाम उप० P/D प्रस्ताव रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल रहे। वकुलाम को P/D पढ़कर सुनाया गया। वकुलाम ने P/D सही होना बताया तथा वाद को मुताबिक P/D अन्तिम डिक्री किया जाना चाहिए कहा। वकील वादीगण/प्रतिवादीगण ने P/D प्रस्ताव वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने हेतु स्वीकार किया जाता है। वाद को अन्तिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल किया गया। पत्रावली अन्तर्गत नियम दाखिल होकर आखिर अदालत हो। (हस्ताक्षर)	

Scanned with CamScanner

कार्यालय तहसीलदार (भू०अ०) जायल

क्रमांक/भू०अ०/2021/3032 दिनांक 5-8-2021

प्रेषित :- श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महो०
जायल

विषय :- प्राथमिक डिक्री का विभाजन प्रस्ताव भेजने बाबत् ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में आपके पत्रांक / दिनांक 405/14-7-21, के अनुसरण में राजस्व वाद संख्या 24/2020 अनुवोने मंगाराम बनाम धर्माराम वगैरह में जारी प्राथमिक डिक्री का विभाजन प्रस्ताव तैयार होकर इस कार्यालय में जमा हुआ । अतः इस पत्र के संलग्न रा.वा.सं. 24/2020 की प्राथमिक डिक्री का विभाजन प्रस्ताव दो प्रतियों में आगामी उचित कार्यवाही बाबत् श्रीमान् जी की सेवा में सादर प्रेषित है ।

तहसीलदार (भू०अ०)
जायल

संलग्न :- रा.वा. सं. 24/2020 की प्राथमिक डिक्री का विभाजन प्रस्ताव दो प्रतियों में ।

Scanned with CamScanner

मौका रिपोर्ट

विभाजन प्रस्ताव

मैं अमीलाल मीणा तहसीलदार जायल - न्यायालय सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी महोदय जायल के आदेश क्रमांक / रीडर / कोर्ट / 2021 / 405 दि 14-3-21 श्रीमान तहसीलदार जायल के आदेश क्रमांक / भू-अ / प्रापत्र विभाजन / 2021 2500 दि 16-7-2021 की पालना में भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आज दिनांक 03-08-2021 समय 11.15 बजे आराजी खसरा मौजा धामणी का खसरा 9, खसरा 109/1 प. मु. राजोद पटवारी हल्का राजोद व ILR-गोली - पटवारी महोदय के साथ मौके पर पहुंचा।

न्यायालय सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी जायल में विचाराधीन प्रकरण 24/2020 के समस्त पक्षकारों को तहसील कार्या० जायल के नोटिस दिनांक 30-07-21 द्वारा जारी किये गये थे। जिनकी तामील विधिवत रूप से कराई गई। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे।

S.No	नाम		पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/प्रतिवादी
1	मंगाराम	पुत्र	हनुमानराम	66	जाट	वादी
2	ओमप्रकाश	पुत्र	बोदूराम	40	जाट	वादी
3.	धर्माराम	पुत्र	बोदूराम	42	जाट	प्रतिवादी
4	सीतादेवी	W/o	स्व. गोपालराम	45	जाट	-"-
5.	धनश्याम	पुत्र	गोपालराम	23	जाट	-"-

उपर्युक्त पक्षकार की उपस्थिति में भूमि का मुआयना मौका निरीक्षण। एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार निम्न प्रकार विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये।

S.N	नाम	खसरा	रकबा हैक्टेयर	किस्म	हिस्सा
1	मंगाराम पुत्र हनुमानराम जाति जाट सा० धामणी	4	5-0101	बा.2	पश्चिमी दिशा
		109/1	1.9992	बा.2	
		9	1.0279	बा.2	दक्षिणी दि पश्चिमी
	योग	3	8.0372	बा.2	

P-7..

Scanned with CamScanner

क्रम	नाम	खसरा	रकबा(है)	किस्म	हिस्सा
(2)	ओमप्रकाश S/o बोदूराम जाति जाट सा. देई	4	1.5054	का.2	उत्तरी पूर्वी हिस्सा
		109/1	0.5018	का2	नजरी नक्शा अनुसार
	योग	2	2.0072	का.2	
(3)	धर्मराज पुत्र बोदूराम जाति जाट सा देई	4	0.4856	का.2	दक्षिणी पूर्वी हिस्सा
		9	1.0279	का2	पूर्वी
		109/1	0.5018	का.2	नजरी नक्शा अनुसार
	योग	3	2.0153	का2	
(4)	प्रेमसुख पुत्र बोदूराम जाति जाट सा देई	4	1.5054	का2	नजरी नक्शा अनुसार
		109/1	0.5018	का.2	नजरी नक्शा अनुसार
	योग	2	2.0072	का2	
(5)	सीतादेवी w/o ~~बोदूराम~~ गोपालराम जाति जाट सा देई	109/1	0.5018	का 2	नजरी नक्शा अनुसार
(6)	घनश्याम S/o गोपालराम श्रवण S/o गोपालराम जाति जाट सा देई	4	1.5054	का.2	नजरी नक्शा अनुसार

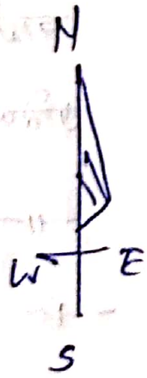

नजरी नक्शा

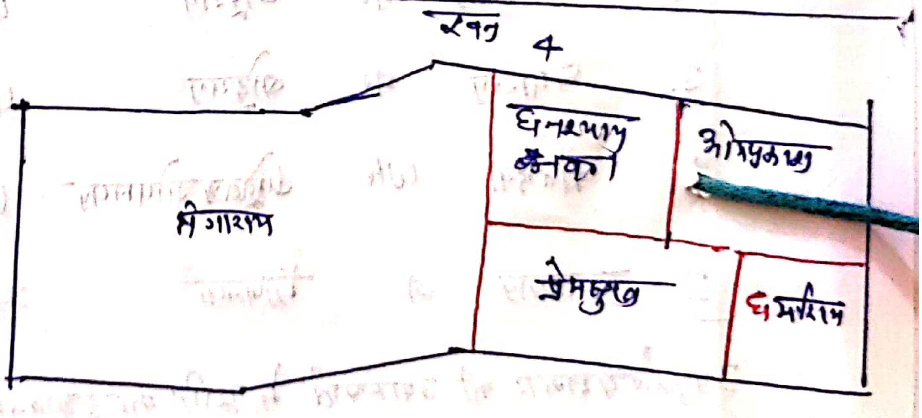

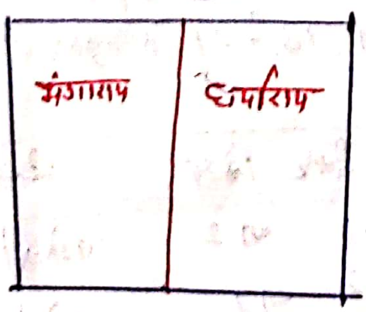

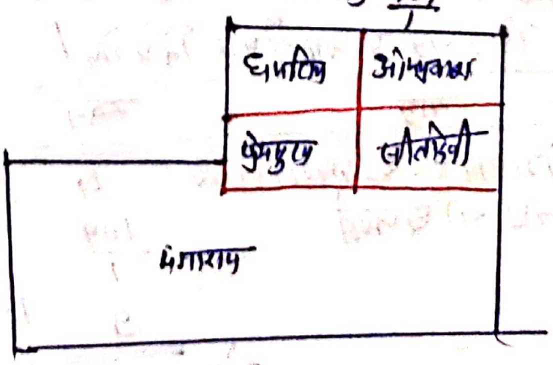

प्रपत्र 3

उक्त विभाजन प्रस्ताव मौके पर उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरों को पढ़कर सुनाया गया मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़कर एवं समझकर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये।

S.No.	नाम	पिता का नाम	जाति	ग्राम	हस्ताक्षर	वादी/प्रति०
1	मंगाराम	पु. हड़मानराम	जाट	थानोली	[अंगूठा निशानी]	वादी
2	ओमप्रकाश	पु. बीरुराम	जाट	"	ओमप्रकाश	वादी
3	धर्माराम	पु. बीरुराम	जाट	"	धर्माराम	प्रतिवादी
4	सीतादेवी	प. ~~[illegible]~~ गोपालराम	जाट	"	[अंगूठा निशानी]	—"—
5.	घनश्याम	पु. गोपालराम	जाट	"	घनश्याम	—"—

निम्न पक्षकारों ने विभाजन प्रस्ताव पढ़कर समझकर हस्ताक्षर करने से इंकार किया

SNo	नाम	पिताकानाम	जाति	वादी/प्रतिवादी

Nil

मौके पर अन्य मौतबिरान को उक्त विभाजन प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। व निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये।

SN.	नाम	पिता का नाम	Age	जाति	हस्ताक्षर
1	पूनमचन्द	पु. रामदेव	19	जाट	पूनमचन्द
2.	मूलाराम	पु. सुखाराम	35	जाट	मूलाराम

इस प्रकार आज दिनांक 03-08-2021 को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई।

03/08/21
पटवार राजोद
पटवारी
पटवार मण्डल थानोली
जायल (नागौर)

परसाराम मेहरा
निरीक्षक (भू.अ.) भू.नि. थानोली
तहसील जायल (नागौर)
03-8-2021

[illegible] (भूअभि)
जायल

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 24/2020
मंगाराम बनाम् धर्माराम वगैरह

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :— रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

वादीगण—

राजस्व वाद संख्या :24/2020

1. मंगाराम पुत्र हड़मानराम
2. ओमप्रकाश पुत्र स्व.बोदुराम, जातियान—जाट निवासीगण—धानणी,तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण —

1. धर्माराम पुत्र स्व.बोदूराम
2. प्रेमसुख पुत्र स्व.बोदूराम
3. भंवरी पुत्री स्व.बोदूराम
4. अणदी पुत्री स्व.बोदूराम
5. [illegible]दा देवी पुत्री स्व.बोदूराम
6. सीता देवी पत्नि स्व.बोदूराम
7. धनश्याम पुत्र स्व.गोपालराम
8. श्रवण पुत्र स्व.गोपालराम , जातियान—जाट निवासीगण—धानणी, तहसील जायल (नागौर)
9. तहसीलदार जायल

उपस्थिति :—

1. श्री गोविन्दराम ढ़ाका अधिवक्ता वादीगण
2. श्री रामप्रकाश बेन्दा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 8
3. प्रतिवादी संख्या 9 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक : 05/8/2021

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा धानणी तहसील जायल में खेत खसरा नं. 109/1 रकबा 4.0064 हैक्टर, खसरा नं. 4 रकबा 10.0119 हैक्टर , खेत खसरा नं. 9 रकबा 2.0558 हैक्टर रहती चली आई है। वादीगण व प्रतिवादीगण ने आपसी पारिवा[illegible]क जुबानी बंटवाड़ा सम्वत 2077 को वाद पत्र के पैरा संख्या 2 (क व छ) के अनुसार कर सिंव—[illegible]व अलग—अलग कर ली। बंटवाड़ा स्कीम इस्तदुआ जो निम्न प्रकार से है। वादी संख्या 1 मंगा[illegible]म के हक बंट में खेत खसरा संख्या 4 रकबा 10.0119 हैक्टेयर में से 5.01036 हैक्टेयर पश्चिमी हिस्सा नजरी नक्शानुसार , खेत खसरा संख्या 109/1 रकबा 4.0064 हैक्टेयर में से 1.99928 हैक्टेयर पश्चिमी भाग नजरी नक्शानुसार, खेत खसरा संख्या 9 रकबा 2.0558 हैक्टेयर में से 1.02797 रकबा नजरीनक्शानुसार रखा गया है। वादी संख्या 2 ओमप्रकाश के हक बंट में खेत खसरा संख्या 4 रकबा 10.0119 हैक्टेयर में से 1.5055 हैक्टेयर नजरी नक्शानुसार , खेत खसरा संख्या 109/1 रकबा 4.0064 हैक्टेयर में से 0.5018 हैक्टेयर नजरी नक्शानुसार रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 धर्माराम के हक बंट में खेत खसरा संख्या 4 रकबा 10.0119 हैक्टेयर में से 0.485656 हैक्टेयर नजरी नक्शानुसार , खेत खसरा संख्या 109/1 रकबा 4.0064 हैक्टेयर में से 0.5018 हैक्टेयर नजरी नक्शानुसार, खेत खसरा संख्या 9 रकबा 2.0558 हैक्टेयर में से 1.02797 रकबा नजरीनक्शानुसार रखा गया है

5/8/2021
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी संख्या 2 प्रेमसुख के हक बंट में खेत खसरा संख्या 4 रकबा 10.0119 हैक्टेयर में से 1.5055 हैक्टेयर नजरी नक्शानुसार , खेत खसरा संख्या 109/1 रकबा 4.0064 हैक्टेयर में से 0.5018 हैक्टेयर नजरी नक्शानुसार रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 6 सीता देवी के हक बंट में खेत खसरा संख्या 109/1 रकबा 4.0064 हैक्टेयर में से 0.5018 हैक्टेयर भूमि नजरी नक्शानुसार रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 7 व 8 धनश्याम व श्रवण के संयुक्त हक बंट कब्जे काश्त में खेत खसरा संख्या 4 रकबा 10.0119 हैक्टेयर में से 1.5055 हैक्टेयर नजरी नक्शानुसार रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 3,4,5 क्रमश भंवरी,अणदी,चन्दा ने अपना हक बंट अपने भाईयों भतीजों के हक बंट में छोड दिया है क्यों कि इनको ससुराल में जमीन मिलने व यहां से नगदी व जेवरात मिलने पर कोई जमीन में हक हिस्सा नहीं रखा गया है। वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाडा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग-अलग सींव-नींव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 ने दिनांक 21.12.2020 को उपस्थित न्यायालय होकर राजीनामा पेश किया। जिसमें वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका ने तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 8 की पहचान अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बेन्दा ने की। राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 9 का सम्मन स्वयं से तामील होकर प्राप्त हुआ है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 द्वारा प्रकरण के संबंध में राजीनामा पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 9 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नहीं किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह ओमप्रकाश पुत्र बोदूराम पेश हुये साथ नकल जमाबन्दी ग्राम धानणी तहसील-जायल सम्वत् 2073-2076 खाता संख्या 223 प्रदर्श-1, नकल जमाबंदी ग्राम धानणी तहसील-जायल सम्वत् 2073-2076 खाता संख्या 319 प्रदर्श-2 पेश किया, वादपत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित वंशावली में फौत होने वालों के मृत्यू प्रमाण पत्र पेश किये गए। अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 8 द्वारा पत्रावली में जरिये राजीनामावाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादीगण पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वादपत्र को माफीक राजीनामा में वर्णित पैराज माफिक नजरी नक्शानुसार स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 8 के हक बंट की भूमि का जरिये राजीनामा आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक राजीनामा वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त अनुसार नजरी नक्शा भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 21.12.2020 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामें पर मनन किया गया। प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 9 राजपैरोकार को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाड़े के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है जो कि संयोजित किये गये है। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक-पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग-अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 21.12.2020 में वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 ने आपसी सहमति के अनुसार बंटवाड़ा तथा माफिक नजरी नक्शानुसार काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

प्रकरण हाजा में मौजा धानणी के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने-अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में प्रतिवादी संख्या 3,4,5 क्रमश भंवरी,अणदी,चन्दा के हक बंट में किसी प्रकार का हक हिस्सा नहीं रखा है तथा ना ही अन्य भूमि रखे जाने संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये है जिससे मामला भूमि अन्तरण का प्रतीत होता है। वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा खसरा नं. 109/1, 4, 9 का माफिक राजीनामा अनुसार बंट चाहा है जो पूर्णरूपेण विभाजन नहीं है। अतः वाद पत्र में वर्णित खसरा नं. 109/1, 4, 9 की भूमि का पूर्णरूपेण विभाजन नहीं होने तथा पक्षकारान् द्वारा हिस्से विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से हम वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार कर दिनांक 17.03.2021 को प्राथमिक के आदेश पारित किये गये थे।

तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 17.03.2021 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 3032 दिनांक 05.08.2021 को प्राप्त हुआ, जिस पर वकुलाय को सुना गया। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् में वादीगण व प्रतिवादी मंगाराम, ओमप्रकाश, धर्माराम, सीतादेवी, धनश्याम ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि अन्य मौतबिरान व्यक्ति पुनमचंद पुत्र रामदेव, मूलाराम पुत्र सुखाराम के हस्ताक्षर से भी होती है। बंटवारा प्रस्ताव में प्रतिवादी संख्या 3,4,5 क्रमश भंवरी, अणदी, चन्दा ने अपना हक बंट अपने भाईयों भतीजों के हक बंट में छोड़ दिया है क्यों कि इनको ससुराल में जमीन मिलने व यहां से नगदी व जेवरात मिलने पर कोई जमीन में हक हिस्सा नहीं रखा गया है। जिससे मामला भूमि अन्तरण का प्रतीत होता है। अतः हम प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के हक हिस्से की भूमिका नियमानुसार स्टाम्प शुल्क लिया जाना न्यायसंगत है। इसलिये हम वादी के वाद को आंशिक स्वीकार कर मौजा धानणी तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरानं. 109/1,4,9 में वादी एवं प्रतिवादीगण को सहखातेदार घोषित कर तसीलदार जायल से प्राप्त माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

सहायक कलक्टर * (एस.डी.ओ.) जायल *

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 24/2020
मंगाराम बनाम् धर्माराम वगैरह

–::आदेश::–

यत् वादी का वाद अधीन धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा धानणी तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरानं. 109/1, 4, 9 में वादी एवं प्रतिवादीगण को सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त जरिये पत्रांक 3032 दिनांक 05.08.2021 के बंटवारा प्रस्ताव (पीडी) अनुसार स्वीकार किया जाता है, तथा निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 मंगाराम के हक बंट में खेत खसरा संख्या 4 रकबा 10.0119 हैक्टेयर में से 5.0101 हैक्टेयर पश्चिमी हिस्सा नजरी नक्शानुसार , खेत खसरा संख्या 109/1 रकबा 4.0064 हैक्टेयर में से 1.9992 हैक्टेयर दक्षिणी भाग नजरी नक्शानुसार, खेत खसरा संख्या 9 रकबा 2.0558 हैक्टेयर में से 1.0279 पश्चिमी भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
2. वादी संख्या 2 ओमप्रकाश के हक बंट में खेत खसरा संख्या 4 रकबा 10.0119 हैक्टेयर में से 1.5054 हैक्टेयर नजरी नक्शानुसार , खेत खसरा संख्या 109/1 रकबा 4.0064 हैक्टेयर में से 0.5018 हैक्टेयर नजरी नक्शानुसार रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 1 धर्माराम के हक बंट में खेत खसरा संख्या 4 रकबा 10.0119 हैक्टेयर में से 0.4856 हैक्टेयर दक्षिणी पूर्वी नजरी नक्शानुसार , खेत खसरा संख्या 109/1 रकबा 4.0064 हैक्टेयर में से 0.5018 हैक्टेयर नजरी नक्शानुसार, खेत खसरा संख्या 9 रकबा 2.0558 हैक्टेयर में से 1.0279 पूर्वी भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 2 प्रेमसुख के हक बंट में खेत खसरा संख्या 4 रकबा 10.0119 हैक्टेयर में से 1.5054 हैक्टेयर नजरी नक्शानुसार , खेत खसरा संख्या 109/1 रकबा 4.0064 हैक्टेयर में से 0.5018 हैक्टेयर नजरी नक्शानुसार रखा गया है।
5. प्रतिवादी संख्या 6 सीता देवी के हक बंट में खेत खसरा संख्या 109/1 रकबा 4.0064 हैक्टेयर में से 0.5018 हैक्टेयर भूमि नजरी नक्शानुसार रखा गया है।
6. प्रतिवादी संख्या 7 व 8 धनश्याम व श्रवण के संयुक्त हक बंट कब्जे काश्त में खेत खसरा संख्या 4 रकबा 10.0119 हैक्टेयर में से 1.5054 हैक्टेयर नजरी नक्शानुसार रखा गया है।
7. प्रतिवादी संख्या 3,4,5 कमश भंवरी,अणदी,चन्दा ने अपना हक बंट अपने भाईयों भतीजों के हक बंट में छोड़ दिया है क्यों कि इनको ससुराल में जमीन मिलने व यहां से नगदी व जेवरात मिलने पर कोई जमीन में हक हिस्सा नहीं रखा गया है। अतः प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के हक हिस्से की भूमिका नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा कराने पर मौजा धानणी तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरानं. 109/1,4,9 राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 05/8/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एस.डी.ओ. जायल

05/8/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

वादीगण–

राजस्व वाद संख्या : 24/2020

1. मंगाराम पुत्र हड़मानराम
2. ओमप्रकाश पुत्र स्व.बोदुराम जातियान–जाट निवासीगण–धानणी,तहसील जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. धर्माराम पुत्र स्व.बोदूराम
2. प्रेमसुख पुत्र स्व.बोदूराम
3. भंवरी पुत्री स्व.बोदूराम
4. अणदी पुत्री स्व.बोदूराम
5. चन्दा देवी पुत्री स्व.बोदूराम
6. सीता देवी पत्नि स्व.बोदूराम
7. धनश्याम पुत्र स्व.गोपालराम
8. श्रवण पुत्र स्व.गोपालराम, जातियान–जाट निवासीगण–धानणी, तहसील जायल (नागौर)
9. तहसीलदार जायल

उपस्थिति :–

1. श्री गोविन्दराम ढ़ाका अधिवक्ता वादीगण
2. श्री रामप्रकाश बेन्दा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 8
3. प्रतिवादी संख्या 9 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता ादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 8 हाजरी श्री रामप्रकाश बेन्दा व प्रतिवादी संख्या 9 ैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – वादी का वाद अधीन धारा 8,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा धानणी तहसील जायल के वेवाद[illegible]त खसरानं. 109/1,4,9 में वादी एवं प्रतिवादीगण को सहखातेदार घोषित किया जाता है [illegible] तहसीलदार जायल से प्राप्त जरिये पत्रांक 3032 दिनांक 05.08.2021 के बंटवारा प्रस्ताव (पीडी) नुसार स्वीकार किया जाता है, तथा निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 मंगाराम के हक बंट में खेत खसरा संख्या 4 रकबा 10.0119 हैक्टेयर में से 5.0101 हैक्टेयर पश्चिमी हिस्सा नजरी नक्शानुसार , खेत खसरा संख्या 109/1 रकबा 4.0064 हैक्टेयर में से 1.9992 हैक्टेयर दक्षिणी भाग नजरी नक्शानुसार, खेत खसरा संख्या 9 रकबा 2.0558 हैक्टेयर में से 1.0279 पश्चिमी भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
2. वादी संख्या 2 ओमप्रकाश के हक बंट में खेत खसरा संख्या 4 रकबा 10.0119 हैक्टेयर में से 1.5054 हैक्टेयर नजरी नक्शानुसार , खेत खसरा संख्या 109/1 रकबा 4.0064 हैक्टेयर में से 0.5018 हैक्टेयर नजरी नक्शानुसार रखा गया है।

सहायक कलक्टर
05/8/2021
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

3. प्रतिवादी संख्या 1 धर्माराम के हक बंट में खेत खसरा संख्या 4 रकबा 10.0119 हैक्टेयर में से 0.4856 हैक्टेयर दक्षिणी पूर्वी नजरी नक्शानुसार, खेत खसरा संख्या 109/1 रकबा 4.0064 हैक्टेयर में से 0.5018 हैक्टेयर नजरी नक्शानुसार, खेत खसरा संख्या 9 रकबा 2.0558 हैक्टेयर में से 1.0279 पूर्वी भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 2 प्रेमसुख के हक बंट में खेत खसरा संख्या 4 रकबा 10.0119 हैक्टेयर में से 1.5054 हैक्टेयर नजरी नक्शानुसार, खेत खसरा संख्या 109/1 रकबा 4.0064 हैक्टेयर में से 0.5018 हैक्टेयर नजरी नक्शानुसार रखा गया है।
5. प्रतिवादी संख्या 6 सीता देवी के हक बंट में खेत खसरा संख्या 109/1 रकबा 4.0064 हैक्टेयर में से 0.5018 हैक्टेयर भूमि नजरी नक्शानुसार रखा गया है।
6. प्रतिवादी संख्या 7 व 8 धनश्याम व श्रवण के संयुक्त हक बंट कब्जे काश्त में खेत खसरा संख्या 4 रकबा 10.0119 हैक्टेयर में से 1.5054 हैक्टेयर नजरी नक्शानुसार रखा गया है।
7. प्रतिवादी संख्या 3,4,5 कमश भंवरी,अणदी,चन्दा ने अपना हक बंट अपने भाईयों भतीजों के हक बंट में छोड़ दिया है क्योंकि इनको ससुराल में जमीन मिलने व यहां से नगदी व जेवरात मिलने पर कोई जमीन में हक हिस्सा नहीं रखा गया है। अतः प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के हक हिस्से की भूमिका नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा कराने पर मौजा धानणी तहसील जायल के विवादग्रस्त खसरानं. 109/1,4,9 राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

05/8/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल-(नागौर)

तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ....05/8/2021........ को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराज हुक्मनामा			बाबत हुराय हुक्मनामा		
[illegible]रक			मुतफरिक		
			द0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

05/8/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner